न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 187/2016 **दायरा दिनांक : 03.10.2016**

उनवान

गोपीलाल आत्मज हीरा, जाति गूर्जर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— मांगीलाल आत्मज नन्दा, जाति गूर्जर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

2— प्यारजी आत्मज नन्दा, जाति गूर्जर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

3— प्रभूलाल आत्मज नन्दा, जाति गूर्जर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

4— घासीलाल आत्मज नन्दा, जाति गूर्जर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

5— पूरालाल आत्मज नन्दा, जाति गूर्जर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

6— कन्हींराम आत्मज देवा, जाति गूर्जर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

7— सालगराम आत्मज देवा, जाति गूर्जर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

8— मोहनलाल आत्मज देवा, जाति गूर्जर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

9— बालचन्द आत्मज देवा, जाति गूर्जर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

10— इस्माईल भाई आत्म्ज अब्दुल रसूल बोहरा, निवासी भवानीमण्डी

11— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

श्री रमेश सोनी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.01.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 122/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गंगपुरा, तहसील पचपहाड में जमाबंदी सम्वत 155 में खसरा नम्बर 14 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 260 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 261 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 549 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 550 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 551 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा

नम्बर 552 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा कुल 26 बीघा 3 बिस्वा आराजी स्थित है । आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की है जिसमें से खसरा नम्बर 14 वादग्रस्त आराजी है । वादीगण के दादा रामसिंह के खाते में ग्राम गंगपुरा की उक्त आराजी के अलावा ग्राम माण्डवी व गंगपुरा की अन्य आराजियात भी थी । उन्होंने अपने जीवनकाल में समस्त आराजी का बंटवारा अपने तीनों पुत्रों में आपसी सहमति से करके कब्जा दे दिया था और तीनों अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है । पारिवारिक बंटवारे में वादी के पिता नन्दा को अन्य आराजी के साथ साथ गंगपुरा की आराजी खसरा नम्बर 14 भी दी गई । बन्दोबस्त से पूर्व इसका नम्बर 7 था और इस आराजी पर कब्जा वादीगण के पिता का और उनके पश्चात वादीगण का चला आ रहा है । 50 – 55 वर्षों से वादीगण का इस आराजी पर कब्जा है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी खातेदार घोषित होने के अधिकारी है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.07.2016 को दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट ने राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और न ही कोई सहमति जाहिर की है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.09.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना ही लोक अदालत में दावे का निस्तारण किया है । प्रकरण में 13 पक्षकार थे राजीनामे पर समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है । राजीनामा विधिक नहीं था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर सम्वत 2005 से आज दिनांक तक वादीगण का कब्जा है । पारिवारित समझौते में आराजी नन्दा जी को मिली थी जो वादीगण के पिता हैं । रेस्पोडेंट वादीगण ने अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 01.07.2016 को लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर दावे का निस्तारण किया है । प्रकरण में कुल 13 पक्षकार हैं और राजीनामे पर प्रतिवादी नम्बर 1

कन्हींराम, वादी नम्बर 3 प्रभू लाल वादी नम्बर 4 घासी लाल के हस्ताक्षर एवं निशानी अंगूठा हे । इसके अलावा किसी गोपाल लाल के भी हस्ताक्षर हो रहे हैं परन्तु गोपाल लाल इस प्रकरण में कोई पक्षकार नहीं है । समस्त पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश नहीं किया है । इस प्रकार यह राजीनामा विधिक राजीनामे की श्रेणी में नहीं आता है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें समस्त पक्षकारों ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी की पालना में जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों की साक्ष्य रेकार्ड पर लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा